उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 9573/14 दिनांक 30/10/14

सेवा में,

कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज,
लखनऊ।

विषय–किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज लखनऊ में डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन आर्थोप्टिक्स, डिप्लोमा इन फिजियोथिरेपी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीक्स, डिप्लोमा इन एम0आर0आई0 टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सेनीटेशन एवं डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की गवर्निंग बाडी के निर्णय एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–3076/71–2–14–एन–50/2014 दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के क्रम में आपके प्रशिक्षण केन्द्र में निम्नलिखित डिप्लोमा प्रशिक्षणों के सम्मुख तालिका में अंकित भर्ती क्षमता के अनुसार प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु अनुमति/अनापत्ति अस्थाई रूप से प्रदान की गई हैः–

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	सीट क्षमता
1.	डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन	30
2.	डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री	30
3.	डिप्लोमा इन आर्थोप्टिक्स	30
4.	डिप्लोमा इन फिजियोथिरेपी	30
5.	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन	30
6.	डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी टेकनीशियन	30
7.	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन	30
8.	डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीक्स	30
9.	डिप्लोमा इन एम0आर0आई0 टेक्नीशियन	30
10.	डिप्लोमा इन सेनीटेशन	30
11.	डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन	30

क्रमश..........2

प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तेः–

1. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. निजी क्षेत्र में चल रहे डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान छात्रों से अधिकतम रूपया 36,000/–(रूपया छत्तीस हजार) प्रतिवर्ष (रूपया 3,000/–प्रतिमाह) प्रशिक्षण शुल्क लिया जा रहा है।
4. समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने से पूर्व विज्ञापन के आलेख (प्रारूप) का इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये।
5. प्रवेश सत्र् प्रतिवर्ष जुलाई/अगस्त से प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् परीक्षक संस्था उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा करायी जायेगी। अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उन्हें डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। सिलेबस की प्रति संलग्न है।
6. डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन आर्थोप्टिक्स, डिप्लोमा इन फिजियोथिरेपी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीक्स, डिप्लोमा इन एम0आर0आई0 टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सेनीटेशन एवं डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन प्रशिक्षणों में भर्ती हेतु चयन सूची प्रकाशित करने से पूर्व चयनित अभ्यार्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की प्रतियों सहित चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में अभ्यार्थियों का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
7. प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अध्यापकों के नाम की सूची, शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक अध्यापक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित समस्त विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भरकर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
8. निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश न किया जाये।
9. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा का शुल्क रूपया 2,000/– प्रति छात्र प्रतिवर्ष जमा कराना होगा। द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्रों का पंजीयन उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा किया जायेगा। पंजीयन शुल्क रूपया 1,500/– प्रति छात्र कार्यालय में पंजीयन कराते समय अभ्यर्थी स्वयं जमा करेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कराया जायेगा, निर्धारित मानक पूरे होने के पश्चात् ही मान्यता/सम्बद्धता आगे बढ़ायी जायेगी।

क्रमशः.............3

10. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्रशिक्षण बिना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की पूर्वानुमति के नहीं चलाये जायेगें, यदि आप द्वारा इस शर्त का किसी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो फैकल्टी द्वारा दी गई मान्यता/सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

11. प्रत्येक वर्ष में प्रवेशित छांत्रों का इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या–
दिनॉक–

प्रतिलिपि–विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।